दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 15-09-2025

जनहित याचिका पर सुनवाई

जेलों से पैरोल पर छोड़े गए 24 कैदी फरार हुए, हाई कोर्ट ने मांगा स्टेटस

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने राज्य के फरार कैदियों को लेकर जवाब मांगा है कि पैरोल और शॉर्ट टर्म बेल पर छोड़ने के बाद वापस नहीं आने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। पिछली सुनवाई के दौरान बताया गया था कि जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि फरार कैदियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और 14 जुलाई 2025 तक विस्तृत जानकारी दें। शपथ पत्र के अनुसार 26 में से सिर्फ 2 आरोपी ही गिरफ्तार किए जा सके हैं, जबकि 24 अब भी फरार हैं। वहीं 7 जिलों से मिली जानकारी के अनुसार 15 आरोपी शॉर्ट टर्म बेल से लौटे ही नहीं हैं और कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इस मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी से स्टेटस मांगा था। मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई है, जो 9 जुलाई 2025 तक जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार हैं।